N.O.C.   Annex 5

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या-4713/15-7-16(45)/ 2002
लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप.

दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली के प्रार्थना पत्र दिनांक 11-11-2002 के संदर्भ में दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-3525/15-7-16(45)/2002 दिनांक 23-10-2002 की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

संलग्नक-यथोक्त ।

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

प्रबंधक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
बरेली, उ0प्र0 ।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BAREILLY (U. P.)

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BAREILLY (U.P.)

DELHI PUBLIC SCHOOL, BAREILLY
VICE PRINCIPAL

संख्या– 3525 /15-7-16(45)/ 2002 Ann 5(4)

(2)

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 23 अक्टूबर, 2002

विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-लिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत संस्थापकी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा [illegible] विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा [illegible] मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की [illegible] केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा [illegible] उक्त केन्द्रीय परिषद की सबद्धता प्राप्त होने की तिथि से [illegible] परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता [illegible] सरकार [illegible] ।

-----2-

DELHI PUBLIC SCHOOL BAREILLY
VICE PRINCIPAL

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BAREILLY (U.P.)

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
प्रमुख अधिकारी
जिला बदायूँ-?

Ann 5(b)

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

ह0/अ0-

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)

संयुक्त सचिव।

पृ0सं0- 3525 (1)/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबंधक, दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली।
6- गार्ड बुक।

DELHI PUBLIC SCHOOL, BAREILLY
VICE PRINCIPAL

आज्ञा से,

ह0/अ0-

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)

अनु सचिव

(अरविन्द मोहन चित्रवंशी)
अनुभाग अधिकारी
शिक्षा अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BAREILLY (U.P.)